उत्तर प्रदेश शासन

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1

संख्या-8/2016/वे0आ0-1-1006/दस-16-28(एम)/2007

लखनऊः दिनांकः 24 नवम्बर, 2016

इस अनुभाग के पत्र संख्या-2/2016-वे0आ0-1-377/दस-16-28(एम)/2007 दिनांक 25 अप्रैल, 2016 के क्रम में भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) के कार्यालय-ज्ञापन संख्या-1/2/2016-ई-II(बी) दिनांक 04 नवम्बर, 2016 एवं कार्यालय-ज्ञापन संख्या-1/3/2008-ई-II(बी) दिनांक 09 नवम्बर, 2016 की (हिन्दी/अग्रेजी) प्रतियॉ निम्नलिखित को इस आशय से पृष्ठांकित की जा रही है कि कृपया प्रदेश में तैनात अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को उक्त कार्यालय ज्ञापन की व्यवस्था के अनुसार दिनांक 01 जुलाई, 2016 से महंगाई भत्ते का भुगतान सुनिश्चित करने का कष्ट करे:-

1- प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल।
2- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3- समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4- समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
5- इरला चेक अनुभाग, उत्तर प्रदेश सचिवालय।

अजय अग्रवाल
सचिव।

संख्या-8/2016-वे0आ0-1-1006(1)/दस-2016, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-2 उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2- सचिवालय में तैनात अखिल भारतीय सेवा के समस्त अधिकारी।
3- प्रभारी, निकनेट सेल, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश सचिवालय,लखनऊ।
4- वित्त (सामान्य) अनुभाग-3
5- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।

आज्ञा से,

अजय अग्रवाल
सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

सं. 1/2/2016-ई.II(बी)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

व्यय विभाग

नई दिल्ली 04 नवम्बर, 2016

कार्यालय ज्ञापन

विषय: सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें - केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता प्रदान किए जाने के संबंध में सरकार का निर्णय - 01.07.2016 से लागू दरें।

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि महंगाई भत्ते के संबंध में सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के फलस्वरूप, राष्ट्रपति ने निर्णय लिया है कि केन्द्र सरकार के सभी वर्गों के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता 01.07.2016 से प्रति माह मूल वेतन के 2 प्रतिशत की दर से स्वीकार्य होगा।

2. 1 जनवरी, 2016 से लागू संशोधित वेतन संरचना में संशोधन-पूर्व वेतन संरचना में 01.01.2016 से संस्वीकृत 125% महंगाई भत्ता शामिल है। इसलिए, संशोधित वेतन संरचना में महंगाई भत्ता 01.01.2016 से शून्य होगा।

3. संशोधित वेतन संरचना में मूल वेतन शब्द से अभिप्राय वेतन मैट्रिक्स में निर्धारित लेवल में आहरित वेतन से है किन्तु इसमें विशेष वेतन आदि जैसा कोई अन्य प्रकार का वेतन शामिल नहीं है।

4. सरकार ने दिनांक 25.07.2016 के संकल्प सं.1-2/2016-आईसी के तहत निर्णय लिया है कि वित्त सचिव एवं सचिव (व्यय) की अध्यक्षता में गठित समिति की सिफारिशों के आधार पर भत्तों के संबंध में कोई अंतिम निर्णय लिए जाने तक सभी भत्तों का भुगतान मौजूदा दरों पर किया जाता रहेगा।

5. यह महंगाई भत्ता पारिश्रमिक का एक भिन्न कारक बना रहेगा और इसे एफआर 9(21) के तहत वेतन नहीं माना जाएगा।

6. महंगाई भत्ते की मद में 50 पैसे और उससे अधिक के अंश का भुगतान अगले उच्चतर रुपए के पूर्णांक में किया जाए और यदि यह अंश 50 पैसे से कम है तो उसे नजरअंदाज किया जाए।

7. ये आदेश, रक्षा सेवा प्राक्कलनों से वेतन प्राप्त करने वाले असैनिक कर्मचारियों पर भी लागू होंगे और यह व्यय, रक्षा सेवा प्राक्कलनों के संगत शीर्ष के नामे डाला जाएगा। सशस्त्र बल कर्मियों और रेलवे कर्मचारियों के संबंध में क्रमशः रक्षा मंत्रालय और रेल मंत्रालय द्वारा अलग से आदेश जारी किए जाएंगे।

8. जहां तक भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग में कार्यरत कर्मचारियों का संबंध है, ये आदेश भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की सहमति से जारी किए जाते हैं।

(ऐनी जॉर्ज मैथ्यू)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

सेवा में

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग (मानक वितरण सूची के अनुसार)।

प्रतिलिपिः नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग आदि (मानक वितरण सूची के अनुसार) (सामान्य संख्या में अतिरिक्त प्रतियों के साथ)।

No. 1/2/2016-E-II (B)
Government of India
Ministry of Finance
Department of Expenditure
*****

New Delhi, the 4th November, 2016.

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Recommendations of the Seventh Central Pay Commission – Decision of Government relating to grant of Dearness Allowance to Central Government employees – Rates effective from 1.7.2016.

The undersigned is directed to say that consequent upon the decision taken by the Government on the recommendations of the Seventh Central Pay Commission relating to Dearness Allowance, the President is pleased to decide that the Dearness Allowance (DA) to all categories of Central Government employees shall be admissible at the rate of 2 percent of basic pay per month, w.e.f.01.07.2016.

2. The revised pay structure effective from 01.01.2016 includes the Dearness Allowance of 125% sanctioned from 01.01.2016 in the pre-revised pay structure. Thus, Dearness Allowance in the revised pay structure shall be zero from 01.01.2016.

3. The term 'basic pay' in the revised pay structure means the pay drawn in the prescribed Level in the Pay Matrix but does not include any other type of pay like special pay, etc.

4. The Government vide Resolution No. 1-2/2016-IC. dated 25/07/2016 has decided that till a final decision on Allowances is taken based on the recommendations of the Committee constituted under the Chairmanship of Finance Secretary & Secretary (Expenditure), all Allowances will continue to be paid at existing rates.

5. The Dearness Allowance will continue to be a distinct element of remuneration and will not be treated as pay within the ambit of FR 9(21).

6. The payment on account of Dearness Allowance involving fractions of 50 paise and above may be rounded to the next higher rupee and the fractions of less than 50 paise may be ignored.

7. These orders shall also apply to the civilian employees paid from the Defence Services Estimates and the expenditure will be chargeable to the relevant head of the Defence Services Estimates. In respect of Armed Forces personnel and Railway employees, separate orders will be issued by the Ministry of Defence and Ministry of Railways, respectively.

8. In so far as the employees working in the Indian Audit and Accounts Department are concerned, these orders are issued in consultation with the Comptroller and Auditor General of India.

(Annie George Mathew)
Joint Secretary to the Government of India

To

All Ministries/Departments of the Government of India (as per standard distribution list).

Copy to: C&AG, UPSC, etc., as per standard list, (with usual number of spare copies).

सं. 1/3/2008-ई.II(बी)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

व्यय विभाग

*****

नई दिल्ली, 09 नवम्बर, 2016

कार्यालय ज्ञापन

विषय: छठे केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार संशोधन-पूर्व वेतनमान/ग्रेड वेतन में अपना वेतन आहरित कर रहे केन्द्र सरकार और केन्द्रीय स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते की 01.07.2016 से लागू दर।

सरकार द्वारा सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें स्वीकार कर लिए जाने के परिणामस्वरूप, इस विभाग ने 4 नवम्बर, 2016 के का.ज्ञा. सं. 1/2/2016-ई.II(बी) के तहत 01.01.2016 से लागू संशोधित वेतन संरचना के आधार पर केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ते की दर के संबंध में आदेश जारी किए थे।

2. तथापि, उपर्युक्त दर केन्द्र सरकार के उन कर्मचारियों के लिए लागू नहीं है जिन्होंने छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित संशोधन-पूर्व वेतनमानों में बने रहने का विकल्प चुना था अथवा जिनके वेतन और भत्ते भिन्न-भिन्न कारणों से संशोधित नहीं किए गए थे।

3. इसके अतिरिक्त, चूंकि सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें अभी तक केन्द्रीय स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों पर लागू नहीं की गई हैं, वे अब भी छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार संशोधन-पूर्व वेतन बैंड/ग्रेड वेतन में अपना वेतन आहरित करते हैं। इसलिए महंगाई भत्ते की उपर्युक्त दर इन कर्मचारियों पर भी लागू नहीं होती।

4. संशोधन-पूर्व वेतनमान में केन्द्र सरकार और केन्द्रीय स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों के लिए 01.01.2016 से महंगाई भत्ते की दर व्यय विभाग द्वारा 7 अप्रैल, 2016 के का.ज्ञा. सं. 1/1/2016-ई.II(बी) के तहत जारी की गई थी।

5. तदनुसार, केन्द्र सरकार और केन्द्रीय स्वायत्त निकायों के उन कर्मचारियों, जो छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार संशोधन-पूर्व वेतन बैंड/ग्रेड वेतन में अपने वेतन एवं भत्ते आहरित कर रहे हैं, के लिए स्वीकार्य महंगाई भत्ते की दर 01.07.2016 से मौजूदा 125% से बढ़ाकर 132% कर दी जाएगी।

6. इस कार्यालय ज्ञापन की विषय-वस्तु को उन मंत्रालयों/विभागों के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन संगठनों के ध्यान में भी लाया जाए जिन्होंने केन्द्र सरकार के वेतनमानों को अंगीकार किया है।

निर्मला देव
09/11/2016

(निर्मला देव)

उप सचिव, भारत सरकार

सेवा में

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग आदि (मानक वितरण सूची के अनुसार)

प्रतिलिपि: नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग आदि (सामान्य संख्या में अतिरिक्त प्रतियों के साथ) मानक पृष्ठांकन सूची के अनुसार।

No. 1/3/2008-E.II(B)
Government of India
Ministry of Finance
Department of Expenditure
***

New Delhi, dated the 9th November, 2016.

OFFICE MEMORANDUM

Subject:- **Rate of Dearness Allowance applicable w.e.f.1.7.2016 to employees of Central Government and Central Autonomous Bodies continuing to draw their pay in the pre-revised pay scale/grade pay as per 6th Central Pay Commission**

Consequent upon acceptance of the recommendations of the Seventh Central Pay Commission by the Government, this Department vide O.M.No. 1/2/2016-E.II(B) dated 4th November, 2016 had issued orders on rate of Dearness Allowance (DA) payable to Central Government employees based on the revised pay structure that came into effect from 01.01.2016.

2. The above rate, however, is not applicable to those Central Government employees who had exercised an option to continue in the pre-revised scales of pay based on 6th CPC's recommendations or to those whose pay and allowances had not been revised, for different reasons.

3. Further, as the recommendations of 7th CPC have not been made applicable to the employees of Central Autonomous Bodies as of now, they continue to draw their pay in the pre-revised pay band/grade pay as per 6th CPC recommendations. Therefore, the above rate of DA is also not applicable to these employees also.

4. The rate of DA w.e.f.01.01.2016 for Central Government employees and employees of Central Autonomous Bodies in pre-revised scale of pay, were issued by Department of Expenditure vide O.M.No. 1/1/2016-E.II(B) dated 7th April, 2016.

5. Accordingly, the rate of DA admissible to employees of Central Government and Central Autonomous Bodies who continue to draw their pay in the pre-revised pay band/grade pay as per 6th CPC recommendations, shall be enhanced from the existing 125% to 132% w.e.f.01.07.2016.

6. The contents of this Office Memorandum may also be brought to the notice of the Organisations under the administrative control of the Ministries/Departments which have adopted the Central Government scales of pay.

09/11/2016
(Nirmala Dev)
Deputy Secretary to the Govt. of India

To

All Ministries/Departments of the Government of India (as per standard distribution list).

Copy to: C&AG, UPSC, etc., as per standard list, (with usual number of spare copies).